



-प्रेस नोट-

दिनांक: 09.06.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाईकिल (हीरो होण्डा स्प्लेण्डर प्लस) बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 08.06.24 को वादी श्री सुहेल पुत्र राशिद निवासी मौ0 बंजारान मलकपुर रोड नई बस्ती कस्बा व थाना नकुड़ जिला सहारनपुर ने एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी के पास रिपेयरिंग हेतु आयी वाहन स्वामी शिवम रावल पुत्र श्री सुनीत कुमार निवासी ग्राम पिलखनी थाना नकुड़ सहारनपुर की मोटर साईकिल हिरो होन्डा स्पेलन्डर प्लस रजिस्ट्रेशन नम्बर HR 05 AF 4338 को चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 172/24 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर ने उक्त घटना का संज्ञान लेकर जनपद में अपराध नियंत्रण, वाहन चोरी की घटनाओं की रोकथाम व इसमें संलिप्त अराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 09.06.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा 02 शातिर वाहन चोर 1.साबिर पुत्र यासीन 2. शाह आलम उर्फ बिल्ली पुत्र दिलशाद निवासीगण मौ0 जोगियान कस्बा व थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर को नकुड़ अम्बेहटा रोड के पास से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त में चोरी हुई मोटर साईकिल हीरो होण्डा स्प्लेण्डर प्लस रजिस्ट्रेशन नम्बर HR05AF-4338 बरामद की गयी। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गई। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का बयान:- अभियुक्तगण ने पूछने पर बताया कि हम दोनो पढ़े लिखे नहीं हैं नशे करने के आदी हैं। अपनी जरूरतों व नशे की लत को पूरा करने के लिए हम मोटरसाइकिल चोरी कर सस्ते दाम में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। जो मोटरसाइकिल पुलिस ने हमसे बरामद की है उसे हमने कुछ दिन पहले पेट्रोल पम्प बस अड्डे के पास सरसावा तिराहा कस्बा नकुड़ से चोरी की थी जिसे हम बेचने के लिए गंगोह जा रहे थे की तभी पुलिस ने हमें पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता:-

- 1.साबिर पुत्र यासीन निवासी मौ0 जोगियान कस्बा व थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. शाह आलम उर्फ बिल्ली पुत्र दिलशाद निवासी मौ0 जोगियान कस्बा व थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

- 01 चोरी की मोटर साईकिल (हीरो होण्डा स्प्लेण्डर प्लस) रजिस्ट्रेशन नम्बर HR 05 AF-4338

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 रोहताश बैसला थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री महेन्द्र कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
4. है0का0 416 कपिल कर्दम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
5. है0का0 1122 प्रवीण कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
6. का0 2242 अंशु यादव थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 09-06-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बिहारीगढ, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारन्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, वांछित वारन्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी बिहारीगढ के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 09.06.2024 को थाना बिहारीगढ पुलिस टीम द्वारा 01 वारन्टी अभियुक्त **मुस्तकीम उर्फ सलीम पुत्र नकली निवासी ग्राम ताल्हापुर थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर** सम्बन्धित वाद संख्या 1039/24 व मु0अ0स0 285/09 धारा 10 यूपी गुण्डा एक्ट को उसके ग्राम ताल्हापुर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मुस्तकीम उर्फ सलीम पुत्र नकली निवासी ग्राम ताल्हापुर थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के नाम:-

- उ0नि0 श्री देवेश कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
- है0का0 745 दीपक मावी थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक- 09.06.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

**थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 चाकू
नाजायज बरामद**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, अवैध शस्त्रों के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 09.06.2024 को थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर अभियुक्त **अमजद पुत्र इसरार नि0 संगमौर थाना चिलकाना सहारनपुर** को ग्राम संगमौर के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 चाकू नाजायज बरामद हुआ। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना चिलकाना पर मु0अ0स0 133/2024 धारा 4/25 ए एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि जो चाकू पुलिस ने मुझसे बरामद किया है उसे मैं रोब गालिब करने के लिये रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अमजद पुत्र इसरार नि0 संगमौर थाना चिलकाना सहारनपुर।

बरामदगी-

01 चाकू नाजायज।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:

1. उ0नि0 विजय सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. प्रशिक्षु उ0नि0 आकाश कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक- 09.06.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 20 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, मादक पदार्थों के अवैध कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 09.06.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा 02 शातिर नशा तस्कर अभियुक्तगण 1. आफताब उर्फ सोनू पुत्र महताब नि0 ग्राम दुमझेडी थाना चिलकाना सहारनपुर व 2. सलमान पुत्र मतलूब नि0 ग्राम भोजपुर गुर्जर थाना चिलकाना सहारनपुर को ग्राम दुमझेडी के पास से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 20 ग्राम स्मैक नाजायज बरामद हुई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना चिलकाना पर मु0अ0स0 132/2024 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त ने एक स्वर में बताया कि हम कम पढे लिखे हैं व नशा करने के आदि हैं। जो स्मैक पुलिस द्वारा हमसे बरामद की गयी है उसे हमने राह चलते व्यक्ति से खरीदा था। स्मैक सस्ते दाम में खरीदकर आस पास के क्षेत्रों में अधिक कीमत में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. आफताब उर्फ सोनू पुत्र महताब नि0 ग्राम दुमझेडी थाना चिलकाना सहारनपुर ।
2. सलमान पुत्र मतलूब नि0 ग्राम भोजपुर गुर्जर थाना चिलकाना सहारनपुर ।

बरामदगी-

20 ग्राम स्मैक नाजायज ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:

1. उ0नि0 विनोद कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।
2. का0 1059 अनुज राणा थाना चिलकाना सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक- 09.06.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपाराध नियंत्रण, वॉछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 09.06.2024 को थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा वारंटी अभियुक्त कपिल पुत्र रामसा निवासी मौहल्ला गढी कस्बा व थाना चिलकाना सहारनपुर संबन्धित वाद संख्या- 11922/2023 धारा- 60 आबकारी अधिनियम सहारनपुर को उसके घर से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अभियुक्त कपिल पुत्र रामसा निवासी मौहल्ला गढी कस्बा व थाना चिलकाना सहारनपुर ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

वाद संख्या- 2699/23 धारा-60 आबकारी अधिनियम थाना चिलकाना, सहारनपुर।

मु0अ0सं0-86/15 धारा-60 आबकारी अधिनियम थाना चिलकाना ,सहारनपुर ।

मु0अ0सं0-69/14 धारा- 60 आबकारी अधिनियम थाना चिलकाना, सहारनपुर ।

मु0अ0सं0-131/19 धारा-110 जी सीआरपीसी थाना चिलकाना, सहारनपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:

1. उ0नि0 केरन सिंह थाना चिलकाना, सहारनपुर ।

2. का0 2351 शमशाद अली थाना, सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक- 09.06.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश
थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वादी ने एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त आनन्द उर्फ अन्नत पुत्र सतीश निवासी मौ० कोठीवाला कस्बा सुल्तानपुर थाना चिलकाना सहारनपुर द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाने के संबंध में थाना चिलकाना पर मु०अ०सं०- 84/2024 धारा - 363 भादवि पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर ने उक्त घटना का संज्ञान लेकर जनपद में अपराध नियंत्रण, महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 09.06.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा मुकदा उपरोक्त में 01 वांछित अभियुक्त आनन्द उर्फ अन्नत पुत्र सतीश नि० मौ० कोठीवाला कस्बा सुल्तानपुर थाना चिलकाना सहारनपुर को सुल्तानपुर तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया। विवेचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 366ए /376 भादवि व ३/४ पोक्सो अधिनियम की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

आनन्द उर्फ अन्नत पुत्र सतीश निवासी मौ० कोठीवाला कस्बा सुल्तानपुर थाना चिलकाना सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

01. उ०नि० करन नागर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।
02. है०का० 246 हेमन्त कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर ।
03. म०का० 1451 विनिता थाना चिलकाना सहारनपुर ।